



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सवाई माधोपुर, (सवाई माधोपुर)  
ज़िला - सवाई माधोपुर  
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग/21393054758  
दिनांक: 18-11-2021  
आवेदक का आधार नम्बर : 845532401388  
आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 5087168805

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 सुबी महविश नाज़ पुत्र/पुत्री श्री अब्दुल कद्यूम, माता का नाम - श्रीमती सदेकुनीम, राजस्थान राज्य के जिला सवाई माधोपुर पता- कागज़ी मोहल्ला, शहर सवाई माधोपुर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उक्त सुबी महविश नाज़ राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी./एस.ने.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 83 KAGZI (83 कागज़ी) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त सुबी महविश नाज़ आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.ने.ई./कम्प्यू./ई.जी./05-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा स्वसम्पन्न कराये गये ई-टस्तावेज़ात के आधार पर जारी किया गया है। टस्तावेज़ात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित टस्तावेज़ात बिना के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। जब सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.esmitra.rajasthan.gov.in](http://www.esmitra.rajasthan.gov.in) पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलफ्री संख्या 21046388205

\*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के कार्यालयों में निरीक्षण/परीक्षण हेतु मूल प्रार्थी को 20 दिनों के अन्दर में आवेदन के पत्रों/पत्रावली में आरक्षण के पत्रों/पत्रावली में।

उपखण्ड अधिकारी, सवाई माधोपुर, (सवाई माधोपुर)

Signature valid

Digitally signed by KAPIL SHARMA  
Date: 2021.11.18 15:20:13 +05:30  
Reason: Approved  
Location: Rajasthan



EMKH 7692069